न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 60/2020

अपीलान्ट्स

भीयाराम पुत्र पुरखाराम, जाति पटेल, निवासी ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 25.11.2020 जो तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया।

———

उपस्थिति

1. अपीलान्ट्स की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार।

—: आदेश :— दिनांक :— 31.12.2020

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 25.11.2020 जो तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेष की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता पुरखाराम के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 585 व 586 रकबा 133 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। उपरोक्त भूमि में से पुरखाराम का नाम हटा दिया गया था। नामान्तरकरण संख्या 182 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में चुनौती दी गई जिस पर पुरखाराम की अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 12.03.2020 को पुरखाराम के नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार लूणी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 20.03.2020 को पुरखाराम के वारिसान् के नाम स्वीकृत किया गया। उसके बाद पुरखाराम के वारिसान् के नाम दिनांक 19.05.2020 व 09.06.2020 समय—समय पर जमाबन्दी जारी की गई। परन्तु अगस्त माह में जब अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी हल्का पटवारी से प्राप्त की तो अपीलान्ट को जानकारी हुई की बिना किसी कारण के अपीलान्ट का नाम जो नामान्तरकरण संख्या 1890 के मार्फत दर्ज हुआ था उसे हटा दिया। जिसको दुरूस्त करने के लिये अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट ने उपरोक्त गलती को दुरूस्त न

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:25 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दिया। इस प्रकार तहसीलदार लूणी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2020 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं गलत है। तहसीलदार लूणी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2020 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1890 स्वीकृत किया गया तथा उक्त नामान्तरकरण का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर समय–समय पर जमाबन्दियाँ जारी की गई जिसमें पुरखाराम के वारिसान् का नाम इन्द्राज रहा परन्तु माह अगस्त 2020 में जारी जमाबन्दी में उनका नाम बिना किसी कारण विलोपित कर दिया जो किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं है जिसे पुन दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें हल्का पटवारी द्वारा भी जमाबन्दी नकल जारी करने का कथन किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर जाकर नामान्तरकरण संख्या 1890 की पालना में अमल दरामद सुदा जमाबन्दी जारी की जावें, जिसमें अपीलान्ट का नाम दर्ज रहें। ¦

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि तहसीलदार लूणी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2020 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1890 स्वीकृत किया गया की प्रविष्ठि को बिना किसी आदेश के विलोपित कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1890 स्वीकृत किया गया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। समय–समय पर पर जमाबन्दी जारी की गई जिसमें पुरखाराम के वारिसानों का नाम दर्ज है। उक्त प्रविष्ठि को मात्र नोट लगाकर बिना किसी आदेश के हटा दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.11.2020 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि नामान्तरकरण संख्या 1890 दिनांक 20.03.2020 की पालना में अमल दरामद करते हुए जमाबन्दी जारी की जावें तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का नोट भी अंकित किया जावें।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:25 IST
Reason: SelfAttested